



क्रमांक: LU2012/JDA/2019-20/100024

दिनांक: 17/06/2019

विषय: – राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री फूल चंद सैनी पुत्र श्री आत्मज राम देव सैनी जाति माली निवासी २२, मोनिका विहार, वॉर्ड न-२६, मान्यावस, जयपुर, जयपुर, राजस्थान, ३०२०२०

१. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1270	0.14
2.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1274	0.2
3.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1694/2	0.213
4.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1283/2	0.453
5.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2265/2	0.174
6.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1272	0.38
7.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1273	0.07
8.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1275	0.4
9.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1271	0.11
10.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1272/1	0.06
11.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2265/1	0.07
12.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1267/2848	0.35

13.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1269	0.18
14.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1268	0.11
15.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1277	0.5
16.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1279	1.15
17.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1280	1.14
18.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1281	3.4
19.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1278	0.27
20.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1276/1	0.06
21.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1276/2	0.57
			कुल	10

२. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की -मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

३. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

४. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

५. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

६. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **17-06-2019** को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-99
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

